

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 242/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक W0522222

विषय :-माह जुलाई-22 में 20234 यूनिट का बिजली का बिल सुधार करने बाबत

श्री मोटर्स,

द्वारा:- श्री राजीवसिंह ठाकुर
431/1/7 जैन नर्सरी कम्पाउण्ड,
इन्दौर म.प्र.,

-----परिवादी

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकलि. इन्दौर,

-----उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 22.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से श्री राजीव ठाकुर, उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकलिमि. की ओर से श्री अमजद अली कनिष्ठ यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका सर्विस कनेक्शन क्रमांक N3372020150, स्वीकृत भार 4.0 किलो वॉट है। माह जून-22 की मीटर रीडिंग 25136 आ गई शायद मीटर खराब हो गया है बिल राशि रु. 224780/- अधिक है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारी मीटर रीडिंग ठीक चल रही है। वर्तमान में आय बिल का पुरानी खपत के आधार पर पुनरक्षित करे। परिवादी ने अतिरिक्त तर्क दिनांक 18.08.22 को प्रस्तुत किया। है कि मुझे बिलकुल भी ज्ञान नहीं है कि मेरा कनेक्शन अस्थायी है। मेरे यहाँ निर्माण कार्य नहीं हो रहा है या ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो रही है जिसमें कम्पनी अस्थायी कनेक्शन देती है, परमानेंट कनेक्शन नहीं देती है। मेरे इसी कम्पस में एक परमानेंट कनेक्शन भी है। अतः मैं यह मान रहा था कि मेरा कनेक्शन परमानेंट है। यदि मेरे परिसर में वास्तविक रीडिंग नहीं हुई थी तब किस प्रकार बिलों में रीडिंग बढ़कर आती रही अर्थात् उनके द्वारा ऐसा लिखा जाना कि वास्तविक रीडिंग नहीं हुई उचित नहीं है।

कम्पनी के पत्र क्रमांक 262/3/8/22 में जो तालिका दी गयी है उसमें वास्तविक उपभोग खपत क्रमशः 354/573/582/574/542 यूनिट दी गयी है। मेरी ये समझ से परे है कि ये खपत कहाँ से आई मेरे पास जो खपत का विवरण है वो इस पत्र के साथ तीन पत्रों में संलग्न कर रहा हूँ इस तालिका के अनुसार दिसम्बर-2020 से जून-2022 तक की खपत का पूर्ण विवरण अंकित है,

जिसके अनुसार मेरी खपत अधिकतम 150 यूनिट के लगभग रही है। अतः इनके पत्र में जो तालिका में यूनिट दर्शाये गये हैं उससे कहीं ज्यादा यूनिट बताये गये हैं। इसके अलावा नया मीटर लगाने की दिनांक 21/07/2022 से आज दिनांक 17.08.2022 तक (27 दिन) तक का खपत विवरण भी देखे वह कुल 201.3 यूनिट है अर्थात् एक माह में इससे 222 यूनिट बनेगी। पत्र के अंतिम पेटा में ये लिखा गया है कि उपभोक्ता को औसतन बिल जारी किया गया है जो मुझे मान्य नहीं है। मेरे किसी भी पुराने बिल में औसत यूनिट नहीं जोड़ी गई है। बल्कि मीटर की खपत की अनुसार बिल दिया गया है।

निवेदन है कि पुराना मीटर आखरी रीडिंग के समय में अचानक असाधारण व्यवहार करने लगा फलस्वरूप रीडिंग अधिकतम बढ़ गई। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे बिल को पुरानी खपत व नये मीटर की आ रही खपत को देखते हुये बिल को सुधारने का कष्ट करे। मेरा व्यवसाय छोटा सा है जो कि कोरोनाकाल में पूर्णतः बंद रहा असमर्थ हूँ। यह भी निवेदन है कि मेरे कनेक्शन को परमानेंट करवा दिया जाये।

संलग्न:- 1. उपभोक्ता पासबुक की प्रति।

2. नये मीटर की पहले (21/07/2022) दिन की रीडिंग का फोटो।

3. नये मीटर की 17/08/2022 की रीडिंग का फोटो।

परिवादी द्वारा अतिरिक्त जवाबदावा दिनांक 20.09.22 को प्रस्तुत किया है:-

जैसा कि पूर्व में निवेदन कर चुका हूँ मेरी औसत खपत 7.5 यूनिट प्रतिदिन है, मेने नया मीटर लगाने के बाद जो खपत आयी है उसकी तालिका प्रस्तुत की है। पुराने निकाले गये मीटर में विभाग द्वारा जो तकनीकी निरीक्षण-परिक्षण किया गया वह मेरी समझ से बाहर है। पुराने मीटर में भी मुझे प्रतिमाह रीडिंग का बिल दिया गया है और वह मेने समय पर जमा किया है। पुराने मीटर की खपत और नये मीटर की खपत लगभग समतुल्य है, माह जुलाई-2022 में 20234 यूनिट का बिल आना उसी मीटर की पुरानी खपत तथा नये मीटर की मेरे पूर्व पत्र दिनांक 18/08/22 में दी गयी तालिका से स्पष्ट है जुलाई माह में अचानक ही मीटर में असामान्य क्रिया हुई और इतनी ज्यादा खपत आयी। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे जुलाई-2022 के बिल को पूर्व एवं वर्तमान खपत के अनुसार पुनरक्षित करने का कष्ट करे। मैं एक अति मध्यमवर्गीय व्यापारी हूँ, राशि रु. 2,22,590/- का बिल भरना मेरी क्षमता में नहीं है। पिछली सुनवाई के दौरान मुझे बताया गया था कि आपका विद्युत संयोजन अस्थायी है जबकि मैं उसे स्थायी कनेक्शन समझ रहा था जबसे मेने अपना व्यापार शुरू किया है तबसे मैं इसे स्थायी कनेक्शन समझकर बिल का भुगतान कर रहा हूँ यदि अस्थायी कनेक्शन की दरें स्थायी कनेक्शन से ज्यादा है तो मुझे उसका भी लाभ दिया जावे और मेरे कनेक्शन को स्थायी में बदला जावे। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया सुहानुभूति पूर्वक विचार कर मेरे पक्ष में निर्णय देने का कष्ट करे।

विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा लेख किया गया है कि, शिकायतकर्ता श्री मोटर्स प्रोप. श्री राजीव सिंह ठाकुर का विद्युत बिल श्री मोटर्स पता- 431/1/7, जैन नर्सरी कम्पाउण्ड इन्दौर, सर्विस क्रमांक N3372020150 संबंधित है तथा उक्त कनेक्शन 4 किलो वॉट स्वीकृत भार का अस्थायी गैरघरेलू विद्युत कनेक्शन है। पूर्व माहों में उक्त परिसर मीटर की वास्तविक रीडिंग नहीं हुई थी तथा बिल माह

जुलाई-2022 में वास्तविक फोटो मीटर रीडिंग होने पर उपभोक्ता को मीटर में संग्रहित 20234 यूनिट का बिल राशि रु. 2,22,502/- जारी हुआ है।

उक्त परिसर में लगे मीटर का दिनांक 19.07.2022 को भौतिक सत्यापन करने पर मीटर की रीडिंग सही पायी गयी। उक्त परिसर में श्री मोटर्स नामक पुरानी चार पहियों वाहनों के खरीदने बेचने का संस्थान संचालित है। उक्त परिसर पर लगा मीटर परिसर के अन्तिम छोर पर पीछे की तरफ लगा हुआ है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति आपकी ओर अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित है।

उपभोक्ता के आवेदन पर उक्त परिसर में लगे मीटर क्रमांक 3058196/AVON/3-10*40 AMP/ अंतिम वाचन 25459 kwh को दिनांक 21.07.2022 को बदलकर नया मीटर क्रमांक 7345115/HPL/3-10*40 AMP/ प्रारंभिक वाचन 002 kwh पर लगाकर पुराने मीटर को विस्तृत जाँच हेतु पोलोग्राउण्ड स्थित एल.टी.एम.टी. लेब भेजा गया था। एल.टी.एम.टी. लेब पोलोग्राउण्ड की मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट क्रमांक 176 दिनांक 01.08.2022 अनुसार मीटर की वर्किंग स्थिति सही पायी गयी। एल.टी.एम.टी. लेब, पोलोग्राउण्ड की मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट की प्रति आपकी ओर अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित है।

मीटर में रीडिंग हिस्ट्री चेक करने पर निम्नानुसार 6 माह की मीटर रीडिंग विवरण पाया गया:-

क्र.	मीटर डाटा	रीडिंग (kwh)	एम.डी. (kwh)	वास्तविक उपभोग खपत
1.	H-1	25459	2.10	354 (21 दिन की खपत)
2.	H-2	25105	2.41	573 (1 माह की खपत)
3.	H-3	24532	2.25	582 (1 माह की खपत)
4.	H-4	23950	2.15	574 (1 माह की खपत)
5.	H-5	23376	2.08	542 (1 माह की खपत)
6.	H-6	22834	1.98	

उपरोक्त मीटर रीडिंग डाटा से भी पता चलता है, कि उपभोक्ता को जारी औसतन 100 से 140 यूनिट बिल की जगह उपभोक्ता की वास्तविक खपत 542 से 573 यूनिट प्रतिमाह है। अतः उपभोक्ता को जारी बिल उपभोक्ता द्वारा वास्तविक उपभोग की गयी खपत यूनिट का ही बिल है। बिल सही है व भुगतान योग्य है।

संलग्न:-1. माह जुलाई-2022 का विद्युत देयक की प्रति।

2. उपभोक्ता पासबुक की प्रति।

3. भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की छायाप्रति।

4. एल.टी.एम.टी.लेब की मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट की छायाप्रति।

5. मीटर बदलने का डिस्पोजल की छायाप्रति।

6. मीटर MRI रिपोर्ट की छायाप्रति।

7. बिलिंग गणना शीट की प्रति।

विपक्ष द्वारा अतिरिक्त जवाबदावा प्रस्तुत है:-

परिवादी के परिसर में लगे मीटर क्रमांक 3058196 की पोलोग्राउण्ड स्थित एल.टी.एम.टी. लेब रिपोर्ट क्रमांक 176/दिनांक 01.08.2022 अनुसार मीटर की वर्किंग स्थिति सही पायी गयी थी तथा

पिछले 12 माह की वास्तविक खपत की तालिका पूर्व में दी गई मीटर की MRI रिपोर्ट में अंकित है।

जो कि निम्नानुसार:-

क्र.	दिनांक / समय	रीडिंग (kwh)	एम.डी.(kwh)	वास्तविक उपभोग मासिक खपत
1.	01.09.21 / 00.00	19768	1.88	
2.	01.10.21 / 00.00	20276	1.89	508
3.	01.11.21 / 00.00	20821	2.03	545
4	01.12.21 / 00.00	21359	2.08	538
5.	01.01.22 / 00.00	21870	2.33	511
6.	01.02.22 / 00.00	22370	1.86	500
7.	01.03.22 / 00.00	22834	1.98	464
8.	01.04.22 / 00.00	23376	2.08	542
9.	01.05.22 / 00.00	23950	2.15	574
10	01.06.22 / 00.00	24532	2.25	582
11.	01.07.22 / 00.00	25105	2.41	573
12.	01.08.22 / 00.00	25459	2.10	354 (21 दिन की खपत / मीटर बदलने तक)

उपरोक्त मीटर की MRI रिपोर्ट तालिका अनुसार यह सिद्ध होता है कि उपभोक्ता की पूर्व माहों में वास्तविक खपत औसतन 464 से 582 यूनिट प्रतिमाह दर्ज पायी गयी है तथा एल.टी.एम.टी. रिपोर्ट अनुसार भी मीटर की वर्किंग स्थिति सही पायी गयी है। पूर्व माहों में वास्तविक फोटो मीटर रीडिंग ना होने के कारण उपभोक्ता को वास्तविक खपत का बिल जारी नहीं हो पाया था। अतः उपभोक्ता को माह जुलाई-2022 में वास्तविक खपत के संग्रहित यूनिट का बिल है। उपभोक्ता का कथन कि पुराना मीटर आखरी रीडिंग के समय में अचानक असाधारण व्यवहार करने लगा फलस्वरूप रीडिंग अधिकतम बढ़ गयी पूर्णतः गलत है। दिनांक 24.08.22 की मीटर की चेक रीडिंग 252 kwh एवं एम.डी. 1.27 किलो वॉट पायी गयी। पिछली एम.डी. एवं वर्तमान एम.डी. की तुलना के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि उपभोक्ता द्वारा वर्तमान में कम लोड का इस्तेमाल नवीन मीटर में किया जा रहा है जिसके कारण अभी यूनिट खपत कम हो रही है। उपभोक्ता द्वारा स्थायी कनेक्शन हेतु कम्पनी नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही स्थायी कनेक्शन दिया जाना सम्भव होगा।

विधिक प्रावधान:-

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अध्याय आठ की कण्डिका 8.44 के अनुसार :-

8.44 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा

(क) यदि प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (रीडिंग) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ख) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का

निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर दोषपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयन्त्र द्वारा तीन मापयन्त्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर प्रावधिक देयक (प्रोविजनल बिल) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्वधीन होगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

परिवादी ने माह जुलाई-22 में 20234 यूनिट की राशि रु. 2,22,590/- पर आपत्ति दर्ज की है। विपक्ष ने कथन में बताया है कि पूर्व माहों में उक्त परिसर मीटर की वास्तविक रीडिंग नहीं हुई थी तथा बिल माह जुलाई-22 में वास्तविक फोटो मीटर रीडिंग होने पर उपभोक्ता को मीटर में संग्रहित 20234 यूनिट का बिल राशि रु. 2,22,502/- जारी हुआ है।

उभयपक्षों के कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अधिभार है कि, मीटर क्रमांक 3058196 की MRI रिपोर्ट के डेली लोड सर्वे के परिणामों से मीटर में तकनीकी त्रुटि परिलक्षित होती है। मीटर त्रुटि पूर्ण होने के कारण माह जुलाई-22 में 20234 यूनिट पूर्व माहों एवं बाद में माहों की औसत खपत लगभग 150 यूनिट से अत्यधिक एवं अवास्तविक है को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार नये मीटर की प्रथम तीन माह की औसत खपत के आधार पर माह जुलाई-22 का देयक संशोधित किया जाना चाहिये एवं फोरम का आदेश का पालन होने तक का तत्संबंधी अधिभार हटाया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, मीटर क्रमांक 3058196 की MRI रिपोर्ट के डेली लोड सर्वे के परिणामों से मीटर में तकनीकी त्रुटि परिलक्षित होती है। मीटर त्रुटि पूर्ण

होने के कारण माह जुलाई-22 में 20234 यूनिट पूर्व माहों एवं बाद में माहों की औसत खपत लगभग 150 यूनिट से अत्यधिक एवं अवास्तविक है को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार नये मीटर की प्रथम तीन माह की औसत खपत के आधार पर माह जुलाई-22 का देयक संशोधित किया जावे एवं फोरम का आदेश का पालन होने तक का तत्संबंधी अधिभार हटाया जावे।

03/ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करें।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल के.कट्ठर),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई)
सदस्य

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
अध्यक्ष